

[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग -1 खंड - 3 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 05 सितम्बर, 2016

संकल्प

संख्या: 01 (अ)

सं.1(6)/2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं)

1. भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 28 फरवरी, 2014 के संकल्प संख्या 1/1/2013-ई.111(ए) के तहत किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को सौंप दी थी। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ सशस्त्र सेना कार्मिकों की परिलब्धियों, भत्तों की संरचना और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों को शामिल किया गया था। सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अफसरों से संबंधित इन मामलों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि रक्षा कार्मिकों की इन श्रेणियों के संबंध में उपर्युक्त मामलों पर आयोग की सिफारिशों को निम्नानुसार स्वीकार किया जाएगा। रक्षा कार्मिक अफसरों के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं :-

- (i) संशोधित वेतन संरचना का कार्यान्वयन 01.01.2016 से किया जाएगा ;
- (ii) वेतन संबंधी मामला ;

(क) रक्षा तथा सैन्य नर्सिंग सेवा कार्मिकों दोनों हेतु वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की मौजूदा प्रणाली को पृथक वेतन मैट्रिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) 01.01.2016 को नए वेतन मैट्रिक्स में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का निर्धारण उसके मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा करते हुए किया जाएगा।

टिप्पणी-1 01.01.2016 को नए वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में, 31.12.2015 को संशोधन पूर्व वेतन संरचना में मौजूदा वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़ कर) को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि, नए वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के ग्रेड वेतन के अनुरूपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरूप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा ; अथवा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा।

टिप्पणी 2 उपर्युक्त टिप्पणी-1 में यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त लेवल में वेतन निर्धारण के पश्चात बाद की वेतनवृद्धियां, उसी लेवल में दी गई उससे ठीक अगली कोष्ठिका में दी जाएगी।

(ग) आयोग द्वारा संस्तुत वेतन संबंधी आम सिफारिशें रक्षा वेतन मैट्रिक्स में निम्नलिखित अपवादों के साथ स्वीकार कर ली गयी हैं ;

(i) रक्षा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) का पुनर्गठन सूचकांक 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाए ।

(ii) रक्षा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12ए (लेफ्टिनेंट कर्नल) में 3 अतिरिक्त प्रक्रम, लेवल 13 (कर्नल) में 3 प्रक्रम और लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) में 2 प्रक्रम उपयुक्त रूप से जोड़े जाएं ।

(iii) सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) में अफसर रैंक हेतु 6000/-रुपए से 15500/-रुपए प्रतिमाह तथा सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) अफसरों हेतु 4200/-रुपए से 10800/-रुपए प्रतिमाह की वृद्धि । एमएसपी की गणना केवल मंहगाई भत्ते और पेंशन उद्देश्यों के लिए की जाएगी ।

(iv) विद्यमान 01 जुलाई की तारीख के बजाय वेतनवृद्धि दिए जाने की दो तारीखें होंगी नामतः प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई । तथापि, नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने की तारीख पर निर्भर करते हुए कोई कर्मचारी इन दो तारीखों में से केवल किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेगा ;

(v) भत्तों (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित सिफारिशें वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित एक समिति को सौंपी जाएगी जिसमें गृह, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डाक विभाग के सचिव तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे । समिति चार माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक, सभी भत्तों का भुगतान वर्तमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर किया जाता रहेगा मानों कि वेतन 01 जनवरी, 2016 से संशोधित ही नहीं किया गया हो, यथास्थिति बनी रहेगी ;

(vi) वेतन के बकायों का भुगतान चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा ;

(vii) ऐसी सिफारिशें जिनका वेतन तथा भत्तों से संबंध नहीं है तथा विभाग/संवर्ग/पद संबंधी अन्य विशिष्ट प्रशासनिक मुद्दों की जांच कार्य संव्यवहार नियमावली/कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार अलग से की जाएगी ।

2. वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धियों के संबंध में अन्य अनुदेश, जिनको इन अनुदेशों में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 25 जुलाई, 2016 के संकल्प संख्या 1-2/2016-आईसी के अनुसार होंगे ।

3. सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के संबंध में आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर तदनुसार लिए गए निर्णय इस संकल्प के अनुबंध-1 पर विवरण में दर्शाए गए हैं । रक्षा सेवा अफसरों और एमएनएस अफसरों हेतु नए वेतन मैट्रिक्स क्रमशः अनुबंध-II तथा अनुबंध-III पर दिए गए हैं ।

वी० आनंदराजन

(वी. आनंदराजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-1

सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाला विवरण (कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय और पैराग्राफ से संबंधित हैं) ।

क्र. सं.	सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1.	<p>फिटमेंट गुणांक : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने वेतन बैंड में फिटमेंट निम्नलिखित तरीके से लगाने की सिफारिश की है:-</p> <p>नए भेट्रिक्स में फिटमेंट आवश्यक रूप से 2.57 के एक बहुगुण गुणांक में होगा । यह बहुगुण आयोग द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम वेतन तथा मौजूदा न्यूनतम वेतन का अनुपात है । फिटमेंट गुणांक को सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जा रहा है । इसमें महंगाई भत्ता स्थिरीकरण के लिए 2.25 का गुणांक शामिल है, यह मानते हुए कि 01.01.2016 को नए वेतन के कार्यान्वयन के समय महंगाई भत्ते की दर 125 प्रतिशत होगी । आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वास्तविक वृद्धि/फिटमेंट 14.29 प्रतिशत है । सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी), जो रक्षा सेनाओं के कार्मिकों पर ही लागू है, की मौजूदा दरों में 2.57 का एकसमान गुणांक भी लागू होगा । (पैरा 5.2.7)</p>	<p>रक्षा वेतन भेट्रिक्स में निम्नलिखित अपवादों के साथ न्यूनतम वेतन, फिटमेंट गुणांक, पुनर्गठन सूचकांक, वेतन भेट्रिक्स के संबंध में और वेतन के संबंध में आयोग की आम सिफारिशें किसी बड़े परिवर्तन के बगैर स्वीकार कर ली गई हैं :-</p> <p>क) रक्षा वेतन भेट्रिक्स में लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) का पुनर्गठन सूचकांक 2.57. से बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाएगा ।</p> <p>ख) रक्षा वेतन भेट्रिक्स में लेवल 12ए (लेफ्टिनेंट कर्नल) में 3 अतिरिक्त प्रक्रम, लेवल 13 (कर्नल) में 3 प्रक्रम और लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) में 2 प्रक्रम उपयुक्त रूप से जोड़े जाएंगे ।</p>
2.	<p>वेतन वृद्धि की दर: वार्षिक वेतन वृद्धि दर को 3 प्रतिशत ही बनाए रखा गया है । (पैरा 5.1.38)</p>	<p>विद्यमान 01 जुलाई की तारीख के वजाए वेतन वृद्धि दिए जाने की दो तारीखें होगी, अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। तथापि, नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने की तारीख पर निर्भर करते हुए कोई कर्मचारी इन दो तारीखों में से केवल किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेगा ।</p>

<p>3. अफसरों के लिए सैन्य सेवा वेतन : रक्षा सेनाओं के कार्मिक, उपर्युक्त मैट्रिक्स के अनुसार अपने वेतन के अलावा बिगोडियर तथा उनके समकक्षों के रैंक तक तथा उनको शामिल करते हुए सैन्य सेना वेतन के भुगतान के लिए पात्र होंगे । आयोज रक्षा सेनाओं के कार्मिकों के लिए सैन्य अफसरों हेतु 15,500 रुपए तथा नर्सिंग अफसरों हेतु 10,800 रुपए एमएसपी की सिफारिश करता है ।</p>	<p>महंगाई भत्ते तथा पेंशन के आकलन के लिए भी एमएसपी को मूल वेतन के रूप में गिना जाना जारी रहेगा । तथापि, मकान किराया भत्ता, संयुक्त स्थानांतरण अनुदान तथा वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए सैन्य सेना वेतन को हिसाब में नहीं रखा जाएगा । (पैरा 5.2.22)</p>
	<p>सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) की दर स्वीकार्य है । तथापि, एमएसपी केवल महंगाई भत्ते (डीए) तथा पेंशन के लिए ही गिना जाएगा ।</p>

वेतन मैट्रिक्स (मिलिट्री नर्सिंग अफसर)

वेतन बैंड	15600-39100				37400-67000		
ग्रेड वेतन	5400	5700	6100	6600	7600	8400	9000
स्तर	10	10A	10B	11	12	12B	13B
1	56100	59000	64100	96300	109800	119700	129800
2	57800	60800	69900	99200	112900	123300	133700
3	59500	62600	72000	102200	116300	127000	137700
4	61300	64500	74200	105300	119800	130800	141800
5	63100	66400	76400	108500	123400	134700	146100
6	65000	68400	78700	111800	127100	138700	150500
7	67000	70500	81100	115200	130900	142900	155000
8	69000	72600	83500	118700	134800	147200	159700
9	71100	74800	86000	122300	138800	151600	164500
10	73200	77000	88600	126000	143000	156100	169400
11	75400	79300	91300	129800	147300	160800	174500
12	77700	81700	94000	133700	151700	165600	179700
13	80000	84200	96800	137700	156300	170600	185100
14	82400	86700	99700	141800	161000	175700	190700
15	84900	89300	102700	146100	165800	181000	196400
16	87400	92000	105800	150500	170800		
17	90000	94800	109000	155000	175900		
18	92700	97600	112300	159700			
19	95500	100500	115700	164500			
20	98400	103500	119200	169400			
21	101400	106600	122800	174500			
22	104400	109800	126500				
23	107500	113100	130300				
24	110700	116500	134200				